न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 01/2018 (75 एल. आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00017

उनवान

अमरजीत सिंह पुत्र श्री वरियम सिंह जाति सिक्ख निवासी ठीकरिया तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

सुरजीत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति सिक्ख नि0 ठिकरिया तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.12.2017 न्याया0 अति0 जिला कलक्टर भरतपुर, प्र0स0 37/17 उनवान अमरजीत सिंह बनाम सुरजीत सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।
2. अधिवक्ता रैस्पो0 श्री पंकज कुमार उपस्थित।

निर्णय दिनांक–06.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम ठिकरिया तहसील बयाना का आवंटन रैस्पो0 सुरजीत सिंह के पिता रघुवीर सिंह को संवत 2006 में किया गया था। आवंटी के फौत होने पर उसके वारिस रैस्पो0 सुरजीत सिंह का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया। किन्तु रैस्पो0 द्वारा कीमत जमा नहीं कराने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट कि रैस्पो0 ग्राम ठिकरिया में नहीं रहता है तथा विवादित भूमि पर कब्जा काश्त रैस्पो0 का नो होकर अपीलाण्ट का है, के आधार पर एवं जिला कलक्टर भरतपुर के पत्र क्रंमाक 3652 दिनांक 01.12.1992 के अनुसरण में अपीलाण्ट अमरजीत सिंह को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने पर तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर बयाना ने राज0 भू राजस्व (परमानेन्ट अलॉटमेन्ट ऑफ ऐवेक्यु एग्रीकल्चर लैण्ड) रूल्स 1963 के नियम 5, 6 के तहत निर्णय दिनांक 15.12.1993 से रैस्पो0 सुरजीत सिंह का आवंटन निरस्त कर अपीलाण्ट अमरजीत सिंह को विवादित भूमि का आवंटन कर दिया। जिसकी अपील रैस्पो0 सुरजीत सिंह द्वारा जिला

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कलक्टर, भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 08.05.1995 से खारिज हुई। उक्त आदेश के विरूद्ध रैस्पो0 सुरजीत सिंह ने न्यायालय हाजा में अपील दायर की, जो निर्णय दिनांक 16.03.1999 से स्वीकार की जाकर, तहसीलदार बयाना एवं जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश निरस्त किये जाकर, प्रकरण विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। न्यायालय हाजा के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट अमरजीत सिंह ने निगरानी राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में पेश की गई जो दिनांक 14.10.2005 को खारिज कर दी गई एवं न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 06.03.1999 यथावत रखा गया। अपीलाण्ट अमरजीत सिंह द्वारा पुनः निगरानी निर्णय दिनांक 14.10.2005 के विरूद्ध मण्डल में ही प्रस्तुत की गयी, यह नजरसानी निर्णय दिनांक 07.02.2012 को स्वीकार कर ली गई। मण्डल की इस नजरसानी के विरूद्ध रैस्पो0 सुरजीत सिंह ने माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 637/2014 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 19.07.2016 पारित करते हुये तहसीलदार को आदेशित किया कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 06.03.1999 के अनुसार उभयपक्ष की सुनवाई कर अधिकतम 6 माह में निर्णय पारित करें। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में तहत अदालत तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर बयाना ने निर्णय दिनांक 06.06.2017 से अपीलाण्ट अमरजीत सिंह के आवंटन को निरस्त करते हुये, रैस्पो0 सुरजीत सिंह का नाम दर्ज किये जाने एवं आवंटन की राशि मय ब्याज रैस्पो0 सुरजीतसिंह से जमा कराने पर ही नामान्तकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट अमरजीत सिंह ने प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर के समक्ष पेश की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 सुरजीत सिंह ने उपस्थित होकर जरिये अभिभाषक, प्राथमिक आपत्ति पेश की। प्राथमिक आपत्ति पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने प्राथमिक आपत्ति, प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट अमरजीत सिंह द्वारा तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 06.06.2017 व अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 06.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जो सुनवाई योग्य नहीं है। क्योंकि अपीलाण्ट ने तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 06.06.2017 के पश्चात् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के समक्ष इसी विवादित आराजी बाबत् नियमित वाद प्रस्तुत कर दिया जिसमें आगामी पेशी दिनांक 05.10.2018 नियत है। दोनों प्रकरणो में, पक्षकार, विवादित आराजी, कॉज ऑफ एक्शन, रिलीफ समान है, अतः नियमित दावे के विचाराधीन रहते, हस्तगत अपील सुनवाई योग्य नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2016 पेज 257 एवं सिविल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 10 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना में लम्बित दावा संख्या 90/17 का हवाला देते हुए, प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर, अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्राथमिक आपत्ति का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने कथन किया कि धारा 10 जाब्ता दीवानी के तहत दोनों यानि भू राजस्व अधिनियम व काश्तकारी अधिनियम में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, दोनों पृथक–पृथक कार्यवाहियॉ हैं अतः जारी रखी जा सकती हैं। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि धारा 10, जाब्ता दीवानी का उपयोग केवल, समान न्यायालय में विचाराधीन वाद पर ही लागू हो सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर बयाना के निर्णय दिनांक 06.06.2017 के पश्चात् दिनांक 07.06.2017 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के समक्ष हस्तगत अपील में वर्णित विवादित आराजी बाबत् नियमित वाद संख्या 90/17 पेश किया गया है। चूंकि दोनों प्रकरणो में प्रश्नगत भूमि, वादकरण एवं चाहा गया अनुतोष, भी समान ही है। अतः पूर्ववर्ती वाद के विचाराधीन रहते, नया वाद लाना प्रतिबन्धित है। एक ही विवाद में दो परस्पर विरोधी निर्णय होने से, न्यायिक दुविधा व जटिलता का सृजन होता है। इस प्रकार की स्थिति का पोषण करना कतई अंवाछनीय है। धारा 10, जाब्ता दीवानी इस संबंध में सुस्पष्ट है। यद्यपि दोनों प्रकरण अलग–अलग न्यायालयों में विचाराधीन है, तथापि पश्चातवर्ती प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही पूर्ववर्ती प्रकरण के निर्णय तक स्थगित कर देनी चाहिए। लिहाजा हम, प्रार्थना पत्र, प्राथमिक आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील की अग्रिम कार्यवाही, इसी स्तर पर स्थगित की जाकर, अपीलाण्ट को वापस लौटायी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 06.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर